

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक:- 09 अक्टूबर, 2025

बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 के आलोक में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद  
अब तक की गई जब्ती की कार्रवाई

बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू किए जाने के पश्चात राज्य में प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा व्यापक रूप से निगरानी और गहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। मतदाताओं को प्रलोभन देने हेतु नकद, शराब, मादक पदार्थ, बहुमूल्य वस्तुएं अथवा अन्य उपहारों के वितरण पर रोक लगाने के उद्देश्य से की जा रही कार्रवाई के क्रम में अब तक बड़ी मात्रा में जब्ती की गई है।

अब तक की प्रमुख जब्ती (रिपोर्ट राशि लाख रुपये में)

- नकद राशि— ₹15.02830 लाख
- शराब— ₹406.77763 लाख
- ड्रग्स/नशीले पदार्थ— ₹164.57820 लाख
- कीमती धातु— ₹1.60000 लाख
- फ्रीबीज़/अन्य वस्तुएं— ₹240.38352 लाख

राज्य में चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस, आबकारी विभाग, आयकर विभाग, नॉर्कोटिक्स ब्यूरो, सीमा शुल्क और फ्लाइंग स्क्वॉड टीमों द्वारा लगातार संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि निगरानी को और सशक्त बनाते हुए प्रत्येक शिकायत पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें।

निर्वाचन आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता बिना किसी प्रलोभन या दबाव के स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।